संख्या-3/966/26-3-2014-4(215)/90-टी0सी0-1

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
2. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0।
3. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ-दिनांक 20 जून, 2014

विषय- कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को देय छात्रवृत्ति हेतु शैक्षिक सत्र 2014-15 से आनलाइन आवेदन एवं अन्य प्रक्रियात्मक कार्यवाही किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति हेतु पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन/वितरण में पारदर्शिता तथा समयबद्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु शैक्षिक सत्र 2014-15 से कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को देय छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन आवेदन एवं अन्य प्रक्रियात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् दिशा-निर्देश निर्धारित किये जाते हैं -

1. पात्रता -

छात्रवृत्ति केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एवं उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत छात्रों को दी जायेगी। यह छात्रवृत्ति प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालय, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय/मदरसों एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त विद्यालय/शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को अनुमन्य होगी।

2. छात्रवृत्ति की अवधि व दरें -

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

(अ)- कक्षा 9-10 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति की अधिकतम अवधि 10 माह होगी।

(ब)- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रावास में रहने वाले छात्र हेतु छात्रवृत्ति रू0 350/- प्रतिमाह एवं रू0 1000/-वार्षिक तदर्थ अनुदान।

(स)- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के डेस्कालर(दिवा छात्र) हेतु छात्रवृत्ति रू0 150/- प्रतिमाह एवं रू0 750/-वार्षिक तदर्थ अनुदान।

सामान्य वर्ग

(अ)- कक्षा 9-10 में सामान्य वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति की अधिकतम अवधि 12 माह होगी।

(ब)- कक्षा 9-10 में सामान्य वर्ग छात्र हेतु रू0 60/-प्रतिमाह।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्य पिछड़ा वर्ग

(अ)- कक्षा 9-10 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति की अधिकतम अवधि 12 माह होगी।

(ब)- कक्षा 9-10 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के छात्र हेतु रू0 60/-प्रतिमाह।

अल्पसंख्यक वर्ग

(अ)- कक्षा 9-10 में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति की अधिकतम अवधि 12 माह होगी।

(ब)- कक्षा 9-10 में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र हेतु रू0 60/-प्रतिमाह।

3. आय-सीमाः-

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कक्षा 9-10 में अध्ययनरत ऐसे छात्र/छात्रायें पात्र होगें जिनके माता-पिता/अभिभावकों की आय रू0 2.00 लाख वार्षिक से अनधिक है।

सामान्य वर्ग

कक्षा 9-10 में सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति के लिये वार्षिक आय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 19,884/-एवं शहरी क्षेत्रों में रू0 25,546/- अनुमन्य होगी। इस संबंध में सम्बन्धित जनपद के तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग

कक्षा 9-10 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) छात्रवृत्ति के लिये ऐसे सभी छात्र-छात्रायें पात्र होंगे, जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय रू0 30,000/- से अनाधिक है। सम्बन्धित जनपद के तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

अल्पसंख्यक वर्ग

कक्षा 9-10 में अल्पसंख्यक वर्ग छात्रवृत्ति के लिये ऐसे सभी छात्र-छात्रायें पात्र होंगे, जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय रू0 1,00,000/- से अनाधिक है। सम्बन्धित जनपद के तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

4. कक्षा 9-10 में छात्रवृत्ति हेतु अनिवार्य आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया निम्नवत होगी :-

1. आई0एफ0एस0 कोड युक्त बैंकों की शाखायें छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर पहले से अपलोड है। यदि कोई नई शाखा खुली है तो उक्त बैंक/ब्रान्च का विवरण सम्बन्धित मास्टर डाटा में जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) द्वारा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में 15 जुलाई तक अंकित कराया जायेगा।
2. यदि कोई भी विद्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा नवीन मान्यता प्राप्त है अथवा तकनीकी कारण से विगत वर्ष कोई पात्र विद्यालय मास्टर डाटा में अंकित होने से छूट गया है तो उसका अंकन भी जिला विद्यालय निरीक्षक से विवरण प्राप्त करके जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) द्वारा मास्टर डाटा में 15 जुलाई तक सम्मिलित करा दिया जायेगा।

   यदि कोई भी मदरसा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा नवीन मान्यता प्राप्त है अथवा तकनीकी कारण से विगत वर्ष कोई पात्र विद्यालय मास्टर डाटा में अंकित होने से छूट गया है, तो उसका अंकन भी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से विवरण प्राप्त करके जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) द्वारा मास्टर डाटा में 15 जुलाई तक सम्मिलित करा दिया जायेगा।
3. विद्यालयों की मान्यता तथा संचालन के सम्बन्ध में सम्बंधित मास्टर डाटा सत्यापन का कार्य जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा तथा बैंक से सम्बंधित मास्टर डाटा का सत्यापन जिला समाज कल्याण

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) द्वारा 31 जुलाई तक किया जायेगा। मदरसों का सत्यापन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

4 छात्र/छात्राओं द्वारा आन लाइन आवेदन भरने की अवधि 01 अगस्त से 30 सितम्बर तक नियत रहेगी।

5. आन लाइन आवेदन पत्र का प्रारूप राज्य एन0आई0सी0 के माध्यम से छात्रवृत्ति की वेबसाइट **http//:scholarship.up.nic.in** पर उपलब्ध कराया जायेगा।

6 जनपदों में प्रचार-प्रसार के माध्यम से इस तरह का संदेश भी विद्यालयों में दिनांक 15 जून तक भेज दिया जायेगा कि छात्र का कोई भी नान सी0बी0एस0 खाता अनुमन्य नहीं होगा तथा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र निर्धारित बेवसाइट के माध्यम से आन लाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। मैनुअल ढंग से भरा हुआ आवेदन पत्र अनुमन्य नहीं होगा।

7. आन लाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के विषय में तकनीकी जानकारी छात्रवृत्ति बेवसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

8 आन लाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थी को निर्धारित प्रक्रियानुसार स्वयं रजिस्ट्रेशन करना होगा। छात्र स्वतः सृजित रजिस्ट्रेशन नम्बर के आधार पर अपना आवेदन पत्र भरेगें तथा भविष्य में अपने आवेदन पत्र के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

9 अभ्यर्थी द्वारा आन लाइन भरे गये आवेदन-पत्र के प्रिन्ट के साथ समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न कर 07 अक्टूबर तक संबंधित शिक्षण संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा।

10 छात्र/छात्राओं द्वारा आन लाइन आवेदन करने के लिये छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर आवेदन पत्र का प्रारूप 01 अगस्त से उपलब्ध रहेगा तथा आवेदन करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 30 सितम्बर होगी, जिसके पश्चात वेबसाइट लाक कर दी जायेगी तथा अंतिम तिथि के बाद आवेदन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

11. छात्रों के खातों में धनराशि स्थानान्तरण हेतु निदेशालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित होगा, जो पी0एफ0एम0एस0 प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति अन्तरित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

12. निदेशालय स्तर पर नामित नोडल अधिकारी को छात्रवृत्ति सर्वर पर लागिन आई0डी0 /पासवर्ड एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका उपयोग करके वह सम्पूर्ण राज्य की एक बेनिफिसियरी फाइल तैयार करेगा एवं सभी जनपदों का संकलित(सिंगल) बिल बनायेगा, जिसके आधार पर ट्रेजरी से टोकन नम्बर प्राप्त होगा। इस टोकन नम्बर को छात्रवृत्ति की बेवसाइट पर फीड करके ट्रांजैक्शन फाइल बनायी जायेगी, जिसके आधार पर पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली द्वारा छात्रवृत्ति की धनराशि का अन्तरण छात्रों के बैंक खातों में सुनिश्चित होगा।

13. एन0आई0सी0 द्वारा नोडल अधिकारी के उपयोग हेतु आन लाइन साफ्टवेयर में ऐसी व्यवस्था की जायेगी, जिससे बेनिफिसियरी फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल एवं कोषागार के सर्वर पर (छात्रवृत्ति सर्वर-कोषागार सर्वर) डेटा को ट्रांसफर करने का विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा।

14. उपरोक्त प्रयोजन हेतु लखनऊ स्थित जवाहर भवन ट्रेजरी को नोडल ट्रेजरी नामित किया जाता है एवं उक्त कोषागार पी0एफ0एम0एस0 सर्वर से फण्ड ट्रांसफर हेतु अपना लागिन आई0डी0/पासवर्ड प्राप्त करेगा।

5. आनलाइन आवेदन करने हेतु सुविधा

कक्षा 9 एवं 10 के छात्र आनलाइन आवेदन अपने इलाके के किसी भी जन सुविधा केन्द्र (Common Service Centre) अथवा इंटरनेट कैफे अथवा अपने कम्प्यूटर से भी कर सकते हैं। जन सुविधा केन्द्र से आनलाइन आवेदन करने के लिए रू0 8/- (रूपये आठ मात्र) प्रति पूर्ण आवेदन (रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन पत्र के प्रिंटआउट को सम्मिलित करते हुए) निर्धारित की जाती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. <u>विद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति हेतु समिति का गठन</u>:-

कक्षा 9-10 की छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्राओं को आनलाइन आवेदन किये जाने के लिए गाइड करने, आवेदन पत्रों/संलग्नकों का सत्यापन/परीक्षण हेतु विद्यालय स्तर पर निम्नलिखित समिति गठित की जायेगी -

अ-	प्रधानाचार्य	अध्यक्ष
ब-	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक वरिष्ठतम अध्यापक	सदस्य
स-	सामान्य वर्ग का एक वरिष्ठतम अध्यापक	सदस्य

अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति हेतु गठित समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक वरिष्ठतम अध्यापक के स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के एक वरिष्ठतम अध्यापक क्रमशः उक्त समिति के सदस्य होंगे।

7. जिला विद्यालय निरीक्षक सुनिश्चित करेगें कि जनपद में विधिमान्य संस्थाओं में अध्ययनरत सभी पात्र छात्र/छात्राओं का डेटा फीड हो गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा शैक्षिक संस्थाओं से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करके समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा कि किसी विधिमान्य संस्था में अध्ययनरत कोई पात्र छात्र आवेदन करने से वंचित नहीं है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुनिश्चित करेगें कि जनपद में विधिमान्य मदरसों में अध्ययनरत सभी पात्र छात्र/छात्राओं का डेटा फीड हो गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा मदरसों से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करके निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा कि किसी मदरसे में अध्ययनरत कोई पात्र छात्र आवेदन करने से वंचित नहीं है।

8. छात्रों द्वारा आन लाइन सबमिटेड आवेदन पत्र तथा अन्य संलग्नकों को विद्यालय/शिक्षण संस्था स्तर पर प्रस्तर-6 में उल्लिखित समिति द्वारा विधिवत सत्यापित एवं परीक्षण किया जायेगा, जिससे किसी अपात्र छात्र को छात्रवृत्ति स्वीकृत न हो सके।

9. विद्यालय/शिक्षण संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा आवेदन पत्रों को विधिवत् परीक्षण के बाद निर्धारित लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड द्वारा 15 अक्टूबर तक छात्रों का विवरण जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए आनलाइन अग्रसारित किया जायेगा।

10. 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच जिला विद्यालय निरीक्षक अपने डिजिटल हस्ताक्षर से विद्यालय/शिक्षण संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये छात्रों का आनलाइन विवरण सत्यापित कर लाक करेगें एवं समाज कल्याण विभाग को अग्रसारित करेगें।

11. जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अग्रसारित छात्रों के विवरण में से कम्प्यूटर द्वारा रैण्डम आधार पर जनित 05 प्रतिशत विद्यालयों के 02 प्रतिशत छात्रों का भौतिक सत्यापन जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी स्वयं तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से 25 नवम्बर तक करेंगे/करायेंगे।

12. तदुपरांत जनपद स्तरीय समिति के समक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी स्वयं विद्यालयवार संख्यात्मक विवरण एवं सत्यापन की आख्या प्रस्तुत कर 30 नवम्बर तक अनुमोदन प्राप्त करेगें।

13. जनपद स्तरीय समिति से अनुमोदन के पश्चात जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी स्वयं अपने डिजिटल हस्ताक्षर से अनुमोदित छात्रों के आनलाइन विवरण को विलम्बतम 05 दिसम्बर तक लाक करेंगे।

14. तदुपरान्त प्रदेश मुख्यालय के जवाहर भवन स्थित कोषागार से छात्रवृत्ति की धनराशि निर्धारित साफ्टवेयर

http://shasanadesh.up.nic.in

के माध्यम से सीधे छात्रों के बैंक खातों में 31 दिसम्बर तक राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा अन्तरित की जायेगी।

15. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी स्वयं भुगतानित छात्र/छात्राओं की सूची वेबसाइट से डाउनलोड कर सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाचार्य/संस्थाध्यक्ष को 15 जनवरी तक उपलब्ध करायेंगे और यह प्रधानाचार्य/संस्थाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा कि पूरी सूची को विद्यालय/संस्था के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगें।

16. कक्षा 9 व 10 की छात्रवृत्ति वितरण कराने तथा इस संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी समस्या के निराकरण के लिये जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जाती है, जिसकी बैठक प्रतिमाह या आवश्यकतानुरूप करके गुणवत्तापूर्वक छात्रवृत्ति वितरण कराया जायेगाः-

1-	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3-	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य-सचिव
4-	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	सदस्य
5-	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
6-	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी	तकनीकी सदस्य
7-	मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी	सदस्य

17. <u>छात्रवृत्ति का नवीनीकरण</u>

अ. जिन छात्रों को कक्षा-9 में छात्रवृत्ति मिल चुकी है, उन्हें कक्षा-10 में छात्रवृत्ति प्राथमिकता के आधार पर देय होगी। इन छात्रों की छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जायेगा बशर्ते उन्होंने निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तथा विद्यालय/शिक्षण संस्था में उपस्थिति कम से कम 70 प्रतिशत रही हो।

18. <u>आनलाइन आवेदन हेतु प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार</u>

अ. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जनपद स्तरीय जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0) से समन्वय स्थापित कर जनपद स्तर पर यह व्यवस्था करेंगे कि जुलाई माह के प्रथम पक्ष में जनपद के प्रत्येक हाईस्कूल/इंटर कालेज/आलिया स्तर के मदरसे के कम से कम 01 नोडल अध्यापक का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण डी0आई0ओ0 एन0आई0सी0 की देख-रेख में आयोजित करायेंगे ताकि उन्हें आनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया की सही जानकारी हो जाय।

ब. तदुपरान्त विद्यालय के नोडल अध्यापक का यह दायित्व होगा कि वह अपने विद्यालय/शिक्षण संस्था के कक्षा-9 एवं 10 के छात्रों को आनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी देंगे। विद्यालय में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथि एवं समय जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी तथा समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी आपस में समन्वय कर यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन विभागों का कम से कम 01 अधिकारी उपस्थित रहे।

स. विद्यालय स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में इलाके के जन सुविधा केन्द्र (Common Service Centre) के प्रभारी को भी अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाय ताकि छात्रों को जन सुविधा केन्द्र पर छात्रवृत्ति आवेदन फार्म भरने में कोई कठिनाई न हो तथा वहां पर उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं एवं निर्धारित दर के बारे में सही जानकारी उपलब्ध हो सके।

http://shasanadesh.up.nic.in

द. जनपद के प्रमुख समाचार पत्रों में इस व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से निशुल्क प्रकाशित कराने की कार्यवाही विभागीय अधिकारी जिलाधिकारी/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के माध्यम/सहयोग से करेंगे। योजना के बारे में पैम्फलेट भी छपवाकर प्रत्येक विद्यालय में छात्रों के मध्य वितरित कराने की व्यवस्था भी संबंधित विभागीय अधिकारी करेंगे। पैम्फलेट के प्रकाशन हेतु दर का निर्धारण संबंधित निदेशक अपने स्तर से करेंगे।

19. <u>सामान्य निर्देशः-</u>

अ. छात्रवृत्ति वितरण के उपरान्त भी जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी स्वयं प्रत्येक माह रैण्डम आधार पर जनित सूची में से कम से कम 05 विद्यालयों के छात्रवृत्ति वितरण का सत्यापन करके आख्या अपने संबंधित उपनिदेशक एवं निदेशक को तथा संबंधित विभाग के उप निदेशक अपने निदेशक को मण्डल के रैण्डम आधार पर जनित कम से कम 05 विद्यालयों का मासिक सत्यापन आख्या उपलब्ध करायेगें।

ब. सत्यापन के दौरान अनियमितता पाये जाने पर संबंधित विद्यालय/संस्था के प्रधानाचार्य तथा छात्रों को कारण बताओं नोटिस जारी कर नियमानुसार संस्था को ब्लैकलिस्ट करने/धनराशि की वसूली/प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने/विद्यालय की मान्यता निरस्त करने सहित सभी आवश्यक कार्यवाही जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी स्वयं नियमानुसार संपादित करेंगे।

स. यदि कोई छात्र वार्षिक परीक्षा में असफल रहता है, तो उसे उस कक्षा के लिये दुबारा छात्रवृत्ति की सुविधा नहीं दी जायेगी।

द. यदि छात्र किसी अन्य योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है तो इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति पाने का हकदार नहीं होगा।

य. माता-पिता/अभिभावक के केवल दो बच्चे छात्रवृत्ति पाने के हकदार होगें, परन्तु यह प्रतिबन्ध लड़कियों पर लागू नहीं होगा।

र. छात्र द्वारा आन लाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/संदिग्ध विवरण देने पर छात्रवृत्ति अनुमन्य नहीं होगी।

ल. माह की 20 तारीख के बाद प्रवेशित छात्रों को सम्बन्धित माह की छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।

20. <u>कक्षा 9-10 आन लाइन छात्रवृत्ति हेतु समय-सारिणी</u> -

क्र0 सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	अन्तिम तिथि
1	नये विद्यालय/नयी बैंक शाखा का विवरण संबंधित मास्टर डाटा में अंकित कराये जाने की अंतिम तिथि	15 जुलाई
2	जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) द्वारा मास्टर डाटा का सत्यापन करने की अंतिम तिथि	31 जुलाई
3	छात्रों द्वारा आन लाइन आवेदन करने की अवधि	01 अगस्त से 30 सितम्बर
4	छात्र/छात्राओं द्वारा आन लाइन आवेदन के प्रिंट आउट सहित समस्त संलग्नक संस्था में जमा करने की अंतिम तिथि	07 अक्टूबर
5	प्रधानाचार्य द्वारा आन लाइन सत्यापन एवं अग्रसारित करने की अंतिम तिथि	15 अक्टूबर
6	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आन लाइन सत्यापन तथा डाटा लाक/ अग्रसारित करने की अंतिम तिथि	31 अक्टूबर
7	जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला	25 नवम्बर तक

http://shasanadesh.up.nic.in

	अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा रैण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन	
8	जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा जनपद स्तरीय समिति से संस्तुति कराकर डिजिटल साइन से डाटा लाक करने की अंतिम तिथि	30 नवम्बर तक
9	जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा ऑन लाइन सत्यापन तथा डाटा लॉक/अग्रसारित करने की अन्तिम तिथि	05 दिसम्बर तक
10	राज्य स्तर पर मॉंग सृजित करने की अंतिम तिथि	15 दिसम्बर
11	पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर से छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति अन्तरण की अन्तिम तिथि	31 दिसम्बर तक
12	भुगतान के बाद नियमानुसार मासिक भौतिक सत्यापन	जनवरी से

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

संख्या- 966(1)/26-3-2014 तददिनांक -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/माध्यमिक शिक्षा विभाग/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
2. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक मुख्यालय, लखनऊ।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी(एन.आई.सी.), उ0प्र0 लखनऊ।
5. निजी सचिव, समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7. उप महानियंत्रक, लेखा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. समस्त मण्डलीय संयुक्त/उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0/समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास), उत्तर प्रदेश/समस्त मण्डलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
12. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in